

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-3678  
उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

**नीट और यूजीसी नेट परीक्षा के आयोजन में विलंब**

**†3678. श्री बैन्नी बेहनन:**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान नीट और यूजीसी-नेट प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक और परीक्षा के आयोजन में विलंब के कारण प्रभावित हुए कुल अभ्यर्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) विगत दस वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं को रद्द करने या पुनर्निर्धारित करने के कारण परीक्षावार, वर्षवार और राज्यवार पेपर लीक की कुल कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान ऐसी अनियमितताओं के लिए पहचाने गए और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और समूहों की राज्यवार और वर्षवार कुल संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम उठाया है?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)**

(क) राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की स्थापना शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश/फेलोशिप हेतु परीक्षा आयोजित करने हेतु एक विशेष निकाय के रूप में की गई थी। वर्ष 2019 से, एनटीए देश भर के सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक-पूर्व चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) आयोजित कर रहा है।

वर्ष 2019 से पहले, नीट (यूजी) परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा आयोजित की जाती थी।

इसी तरह, एनटीए 2018 से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर और/अथवा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए यूजीसी-नेट परीक्षा आयोजित कर रहा है। इससे पहले, यूजीसी-नेट परीक्षा सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाती थी।

सुचारु प्रवेश प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा समय-सीमा का अधिकांशतः पालन किया गया है। तथापि, नीट-(यूजी) 2020 और 2021 की परीक्षाएँ, साथ ही यूजीसी-नेट दिसंबर 2020 और मई 2021 के परीक्षा चक्र, कोविड-19 महामारी और उससे संबंधित लॉजिस्टिकल चुनौतियों के कारण स्थगित कर दिए गए थे। ऐसा कोविड-19 के कारण उत्पन्न अप्रत्याशित स्थिति के कारण हुआ था, जिसने समग्र रूप से शैक्षणिक कार्यक्रमों को प्रभावित किया था।

जहां तक दिनांक 18.6.2024 को आयोजित और बाद में रद्द कर दी गई यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा की बात है, यह परीक्षा दिनांक 21 अगस्त, 2024 से 4 सितंबर, 2024 के बीच कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में आयोजित की गई थी और परिणाम दिनांक 17.10.2024 को घोषित किया गया था।

मई, 2024 में नीट (यूजी) 2024 परीक्षा के आयोजन के बाद, कथित अनियमितताओं/धोखाधड़ी/कदाचार के कुछ मामले सामने आए थे। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय जाँच ब्यूरो को नीट-(यूजी) 2024 परीक्षा से संबंधित कथित अनियमितताओं के संपूर्ण मामले की व्यापक जाँच करने को कहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट्याचिका (सिविल) 335/2024 और उससे संबंधित मामलों में दिनांक 2 अगस्त, 2024 के अपने निर्णय के तहत पैरा 84 में कहा है कि "इसलिए, वर्तमान में रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है जो प्रणालीगत लीक या अन्य रूपों में प्रणालीगत कदाचार का संकेत देती हो। रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री वर्तमान में इस आरोप की पुष्टि नहीं करती है कि व्यापक कदाचार हुआ है जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है।" इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 23 जुलाई, 2024 के पूर्व आदेश के अनुपालन में, नीट-(यूजी) 2024 परीक्षा का संशोधित परिणाम दिनांक 26 जुलाई, 2024 को घोषित किया गया था।

एनटीए ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए, प्रमुख परीक्षाओं के परीक्षा कैलेंडर की घोषणा काफी पहले ही शुरू कर दी है। परीक्षा कैलेंडर की योजना एनटीए के नियंत्रण से परे कारणों से पुनर्निर्धारण/स्थगन के लिए बफर दिनों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।

(ख) और (ग) शैक्षिक संस्थानों में भर्ती के साथ-साथ प्रवेश के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न निकायों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। परीक्षा संबंधी विशिष्ट घटनाओं से संबंधित आँकड़े मंत्रालय में केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 लागू किया है। यह अधिनियम दिनांक 21 जून, 2024 से लागू हो गया है और इसके अंतर्गत नियम दिनांक 23 जून, 2024 को अधिसूचित किए गए हैं।

एनटीए द्वारा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के संचालन में सुधारों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय संचालन समिति पहले ही गठित की जा चुकी है।

\*\*\*\*